

प्रेस नोट दिनांक 25.10.2024

थाना इलिया जनपद चन्दौली

◆ थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 01 एक टाटा योद्धा पिकअप में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु बिहार ले जा रहे 08 राशि गोवंश बरामद

चन्दौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा अवैध शराब/ गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा अभियान में दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चक्रिया राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली के कुशल निर्देशन में उ0नि0 भोला सिंह अपने हमराहियान के साथ दिनांक 24.10.2024 उस समय सफलता मिली जब अभियुक्तगणों द्वारा 01 एक टाटा योद्धा पिकअप 1200 रजि0 नं0 UP65KT4806 से 08 राशि गोवंशीय पशुओ को वध हेतु बिहार ले जाया जा रहा था कि माल्दह नहर पुलिया वहद ग्राम माल्दह से गोवंशीय पशुओ को मैजिक वाहन के साथ बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 105/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम में पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 105/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता नि0 अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी-

08 राशि गोवंशीय पशु व 01 एक टाटा योद्धा पिकप 1200 रजि0 नं0 UP65KT4806 व एक पोको कम्पनी का मो0 हल्का आसमानी IMEI 860035073349362

बरामदगी की पुलिस टीम-

- 1.प्रभारी निरीक्षक दयाराम गौतम थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 2.उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 3.हे0का0 दिनेश कुमार प्रथम थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 4.का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।
- 5.का0 दुर्गविजय वर्मा थाना इलिया जनपद चन्दौली।

(आपरेशन कन्विक्शन)

◆ श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को दिलाई जा रही सजा।

◆ मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) द्वारा दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना चन्दौली के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-

1-दिनांक 24.11.2018 को धारा 363,366,376 भादवि व ¼ पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम निवासी माटीगांव थाना व जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 368/18 धारा 363,366,376 भादवि व ¼ पाक्सो एक्ट थाना चन्दौली में पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त अभियोग में मानिट्रिंग सेल व श्री शमशेर बहादुर सिंह (एडीजीसी) व थाना चन्दौली के पैरोकार का0 श्याम यादव की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक-25.10.2024 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री अनुराग शर्मा (स्पे0 जज पाक्सो एक्ट) द्वारा 01 अभियुक्त 1. अजीत कुमार उर्फ धरमपाल पुत्र अर्जुन राम निवासी माटीगांव थाना व जनपद चन्दौली को **10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 22000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

थाना बबुरी जनपद चन्दौली

- ◆ पुलिस अधीक्षक चंदौली, श्री आदित्य लांगे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना बबुरी पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही
- ◆ थाना बबुरी पुलिस द्वारा गौ तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही
- ◆ अपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही
- ◆ इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है गोवंश की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांगे द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना बबुरी चन्दौली द्वारा गोतस्करी में सम्मिलित कुल 04 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट तहत कार्यवाही की गयी।

प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना बबुरी जनपद चन्दौली द्वारा अपराधियों एवं गो- तस्करो के विरुद्ध की जा रही अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय द्वारा थाना क्षेत्र से गो- तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर 1.हलीम पुत्र रहीम निवासी ग्राम छिबलहा थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर (2) मशरूर गद्दी पुत्र महबूब गद्दी निवासी बक्शी मोहल्ला थाना करैली जिला प्रयागराज उम्र 30 वर्ष 3-सोनू कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी मुहल्ला बाकरगंज थाना कोतवाली जिला फतेहपुर 4.रोहित यादव पुत्र महावीर यादव निवासी ग्राम डेल्हूपुर थाना महराजगंज जिला जौनपुर हाल पता RAV N0 VANDOBH अमराबाडी अहमदाबाद शहर गुजरात के विरुद्ध दिनांक 24.10.2024 को मु0अ0स0 115/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण के अपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0स0 121/23 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशुकूरता नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली
- 2.मु0अ0स0 115/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 थाना बबुरी जनपद चन्दौली

अभियुक्तगण का विवरण-

गैंग लीडर-

- 1-हलीम पुत्र रहीम निवासी ग्राम छिबलहा थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर

सदस्य-

- 2- मशरूर गद्दी पुत्र महबूब गद्दी निवासी बक्शी मोहल्ला थाना करैली जिला प्रयागराज उम्र 30 वर्ष
- 3-सोनू कुमार पुत्र लाल बहादुर निवासी मुहल्ला बाकरगंज थाना कोतवाली जिला फतेहपुर
- 4-रोहित यादव पुत्र महावीर यादव निवासी ग्राम डेल्हूपुर थाना महराजगंज जिला जौनपुर हाल पता RAV N0 VANDOBH अमराबाडी अहमदाबाद शहर गुजरात

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार पाण्डेय थाना बबुरी जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अवधेश नारायण थाना बबुरी जनपद चन्दौली
3. का0 अजीत कुमार थाना बबुरी जनपद चन्दौली
4. का0 राहुल कुमार थाना बबुरी जनपद चन्दौली

थाना साइबर क्राइम, जनपद चन्दौली

साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक का फ़ाड धनराशि - 8000/- रुपये वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव क्षेत्राधिकारी आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक इन्द्रजीत कुमार पुत्र जंग बहादु प्रसाद निवासी रेवसा आनन्दपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली का फ़ाड तरीके से 8000/- रुपये का युपीआई के माध्यम से पैसा कट गया था जिसके सम्बन्ध में आवेदक इन्द्रजीत कुमार उपरोक्त द्वारा एनसीआरपी पोर्टल / थानाध्यक्ष के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 8000/- रुपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया। आवेदक इन्द्रजीत कुमार उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम एंव साइबर थानाध्यक्ष एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

नाम पता आवेदक -

इन्द्रजीत कुमार पुत्र जंग बहादु प्रसाद निवासी रेवसा आनन्दपुर थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

वापस करायी गयी धनराशि का विवरण-

वापस करायी गयी धनराशि रुपया – 8000/-

फ़ाड का दि०- 19-10-2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1.उ० नि० श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

2.हे०का० सुनील कुमार मिश्रा

3.का० सन्तोष कुमार यादव

4.का० मनोज चौहान

5.का० अनिल कुमार

6.का० आशुतोष भारद्वाज

7.का० राहुल यादव

8.का० मो० नौशाद

9.का० राहुल सिंह